सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
श्रावण 22, शुक्रवार, शाके 1943–अगस्त 13, 2021 *Sravana 22, Friday, Saka 1943- August 13, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 10, 2021

जी.एस.आर.321 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है , अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें ।

2. अनुसूची-1 का संशोधन.- राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967 से संलग्न अनुसूची-1 में ,-

(i) शीर्ष ग्रुप I के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और 4 तथा उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

‘’

3.	कनिष्ठ नक्शानवीस	75% सीधी भर्ती द्वारा और 25% पदोन्नति द्वारा	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या स्थापत्यकला में डिप्लोमा	ट्रेसर	ट्रेसर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव या यदि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी/ स्थापत्यकला में डिप्लोमा हो तो ट्रेसर के रूप में 1 वर्ष का अनुभव	

4.	ट्रेसर	75% सीधी भर्ती द्वारा और 25% पदौन्नति द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/ स्थापत्यकला में नक्शानवीस का ट्रेड में 2 वर्ष का आई.टी.आई. पाठ्यक्रम	फैरोमेन या प्लान रिकॉर्ड कीपर	फैरोमेन या प्लान रिकॉर्ड कीपर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव या यदि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल/ स्थापत्यकला में नक्शानवीस का ट्रेड में 2 वर्ष का आई.टी.आई. पाठ्यक्रम हो तो फैरामेन या प्लान रिकॉर्ड कीपर के रूप में 1 वर्ष का अनुभव	

''

(ii) शीर्ष ग्रुप III के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

3.	पटवारी	100% सीधी भर्ती द्वारा	(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्स कोई समतुल्य अर्हता; और (ख) इलैक्ट्रोनिक विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओइएसीसी द्वारा संचालित ''O" या उच्चतर स्तर का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या एनआईईएलआईटी, नई दिल्ली द्वारा कम्प्यूटर संकल्पना पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय/ राज्य परिषद या व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (सीओपीए)/ डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर			

			(डीपीसीएस) प्रमाण पत्र या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/ डिप्लोमा/प्रमाण पत्र या विषयों में से किसी एक के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ, देश में किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी प्रमाणपत्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन वर्द्धमान महावीरखुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान राज्य प्रमाणपत्र पाठयक्रम (आरएससीआईटी) या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता । स्पष्टीकरण: किसी अभ्यर्थी द्वारा रखी गयी कम्प्यूटर की अर्हता या उच्चतर अर्हता के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।			

‘’

[सं.एफ.2(20)डीओपी/ए-2/84]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr-II

NOTIFICATION

Jaipur, August 10, 2021

G.S.R.321 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Engineering Subordinate Services (Irrigation Branch) Rules, 1967, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Irrigation Branch)(Second Amendment) Rules, 2021 .

(2) They shall come into force from the date of their publication in Official Gazette

2. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-I appended to the Rajasthan Engineering Subordinate Services (Irrigation Branch) Rules, 1967, -

(i) under the heading Group-I, the existing serial number 3 and 4 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

3.	Junior Draftsman	75% by direct recruitment &25% by promotion	Diploma in Civil Engineering or Diploma in Architecture from an institution recognized by the Government	Tracer	5 years' experience as Tracer or 1 year's experience as Tracer if, having Diploma in Civil Engineering/ Architecture from a recognized institution	
4.	Tracer	75% by direct recruitment &25% by promotion	2 Years' ITI course in trade of Draftsman in Civil/ Architecture from a recognized institute	Ferroman or Plan Record-keeper	5 years' experience as Ferroman or Plan Record Keeper or 1 year's experience as Ferroman or Plan Record Keeper if, having 2 Year ITI Course in trade of Draftsman in Civil/ Architecture from a recognized institution	

"

(ii) under the heading Group-III, the existing serial number 3 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

3.	Patwari	100% by direct recruitment	(A)Bachelor's degree from a university established by law in India or any other equivalent qualification recognized by the Government; and (B)"O" or Higher level certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India. or Certificate course on Computer concept by NIELIT, New Delhi or Computer operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and computer software (DPCS) certificate organized under National/State Council or Vocational Training Scheme. or Degree/Diploma/Certificate in Computer Science/Computer Application from a university established by law in India or from an institution recognized by the Government. or Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the country, with computer Science/Computer Application as one of the subjects or Diploma in Computer Science and Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government. or Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under Control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited. or Any equivalent or higher qualification recognized by the Government. **Explanation:** The decision of			

			Rajasthan Staff Selection Board or the Appointing Authority, as the case may be, regarding the qualification or higher qualification of computer possessed by a candidate shall be final.			

"

[No.F.2(20)DOP/A-II/84]
By order and in the name of Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।